कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 44 /तकनीकी/2013 भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन,
2. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/ जिला पंजीयक,
3. समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक,
   मध्यप्रदेश

विषयः– दस्तावेजों का त्वरित पंजीयन ।

--00--

यह ध्यान में आया है कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा अनेक बार दस्तावेजों के पंजीयन में अनावश्यक रूप से विलंब किया जाता है। मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के नियम 19 में उल्लेखित आधारों पर किसी दस्तावेज को संशोधन, सुधार या लोपों की पूर्ति हेतु लौटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नियम 35 में उन कारणों का उल्लेख है जिनके आधार पर दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जा सकता है। अतः पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 तथा मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 में विहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुतीकरण दिनांक को ही पंजीयन उपरांत दस्तावेज पक्षकार को वापस लौटाया जाए। यदि यह पाया गया कि किसी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से दस्तावेज लंबित रखा गया है, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Dipali Rastogi

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 45 /तकनीकी/2013 भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश